न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण 184/2009 प्रारम्भ
प्रकरण 78/2016 दिनांक 12/07/2016

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भगवती देवी बनाम सम्पती उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
5/11/2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार है वादीया ने एक दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकाविया एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में पेश किया दावा दर्ज रजि० कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजिर आये, वादीगण व प्रतिवादी की सहमती से दिनांक 18-1-2018 को दावा प्रारंभिक डिक्री किया गया व तहसीलदार बसवा को विवादित आ० ख०नं० 462 ता 469 कुल किता 7 रकबा 2.55 हे० खाता मुल्लाना तह० बसवा जिला दौसा को पक्षकारान की मौजूदगी में रास्ता आबादी यथा सम्भव सबके को ध्यान में रखकर तकाविया कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बसवा द्वारा पत्रांक 1128 दि० 6-3-18 के अर्न्तगत प्रस्तुत किये जाने पर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर दिनांक 19-3-18 को अन्तिम डिक्री किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19-3-18 के विरुद्ध अपील, राज० अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, मा० अपील अधिकारी जयपुर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने निर्णय 5-7-18 के द्वारा दायर अपील खारिज की, द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय 5-7-18 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 15-5-19 को विधिसम्मत निर्णय के द्वारा अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाकर, प्रकरण न्यायालय हाजा को	(हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जा
	मगनली v/s रामपती	

उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

प्रेषित कर निर्देश दिये कि प्रस्तुत कुर्जात पर उभयपक्ष को लिखित आपत्ती प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करे एवं स्वयं या तहसीलदार से रास्ते के संबंध मे उभयपक्ष को सूचित कर मौका निरीक्षण कर उभयपक्ष को सुनकर पुनः लिखित बयान एवं नियमानुसार निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 1.7.19 को उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये।

माननीय न्यायालय रा० मं० अजमेर के निर्णय दिनांक 15.5.19 की पालना मे निर्णयानुसार उभयपक्ष की सुनवाई हेतु तारीख पेशी नियत कर, एवं संबंधित तहसीलदार बसवा को तहरीर जारी की गई कि मा० न्यायालय रा० मं० अजमेर के निर्णय दिनांक 15.5.19 के निर्देशानुसार उभयपक्ष को सूचित करते हुये आप स्वयं मौके पर जाकर दोनो पक्षो की मौजूदगी मे रास्ते आदि को ध्यान मे रख कर कुर्जात प्रस्तुत करे।

तहसीलदार बसवा द्वारा प्रकरण मे पत्रांक 1698 दिनांक 13.9.19 के जरिये विवादित भूमि के पुनः उभयपक्ष की मौजूदगी मे विभाजन जवाब तैयार कर मय नक्शा वगैरा कुर्जात प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रस्तुत कुर्जात पर उभयपक्ष के मध्य विभाजित भूमि नक्शा मे अलग अलग रंग भरकर प्रदर्शित की गई है। प्रस्तुत कुर्जात पर वाद के वादीगण, रामकिशन, गिर्राज, जगदीश, कमल पिं हरदयाल जाति मीणा निवासी गुल्लाना द्वारा आपत्ती कुर्जात प्रा०पत्र प्रस्तुत किया, नकल आपत्ती प्रा०पत्र प्रतिवादी वकील को दी गई। प्रतिवादी मांगीलाल द्वारा जवाब आपत्ती प्रा०पत्र कुर्जात पेश किया,

वादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ती कुर्जात मे

उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्र०सं० 184/13 प्रकाश प्र०सं० 78/11 नहीं प्र०सं० 134/13 नं० मंगली v/s सम्पती — उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

मे बताया किया है कि कुरेजात कुरेजात राजस्व काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 नियम 21 की पालना मे नहीं बनाये गये है आराजी खसरा नं० 2298/468, 2300/468/1, 469/2 कुल किता 3 रकबा 0.75 हे० भूमि दी गई है भूमि मे आने जाने का रास्ता नहीं दिया है तहसीलदार बसवा ग्राम पं० ग्राम रास्ते की भूमि ख०नं० 2296/466, 2297/466, 2300/468, 2302/465, 2304/467 को मनमर्जी से नाही, विधि विरुद्ध बैनाडा औट ग्रा०पं०आं० मे बदल दिया जो विधि विरुद्ध प्रस्तुत कुरेजात निरस्त कर राजस्थान काश्तकारी (रजिस्ट्रेशन बोर्ड) नियम 1955 के नियम 18 के 21 की पालना कराते हुये माननीय न्यायालय रा०मं० अजमेर की पालना मे बनाये के निर्णय दिनांक 15.5.2019 की पालना मे बनाये के निर्देश रखो।

प्रकरण मे की के प्रतिवादी मांगीलाल व सं० जमाली प्रकरण मे प्रतिवादी मांगीलाल व अन्य आपत्ती कुरेजात ... मुख्तार ... जवाब आपत्ती कुरेजात ... निचाइदार बनाये गये ... नहीं बताया कि नियम का किस आपत्ती मे यह नहीं बताया कि नियम का किस प्रकार से उल्लंघन किया है आपत्तीकर्ता की भूमि ख०नं० 2298/468, 2300/468/1, 469/2 पूर्व से असली बटवारा के कब्जा कास्त की भूमि जो इसकी भूमि के रास्ता पूरब दिशा मे ख०नं० 471 की भूमि आपत्तीकर्ताओ की खातेदारी भूमि है जिसके उत्तर मे सरकारी आम रास्ता की खातेदारी भूमि है आपत्ती के पैरा नं० 7 मे वर्णित प्रवेश सड़क स्थित है आपत्ती के विपरीत है वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत है। रिकार्ड के विपरीत है रास्ता की भूमि नहीं ... ख०नं० की भी ग्रा०पं० रास्ता की भूमि विधि विरुद्ध धारा 251 ... रही है तहसीलदार द्वारा विधि विरुद्ध भूमि को मुक्त नहीं किया RTA के अन्तर्गत वर्णित भूमि को ... राजस्थान ... किया था जिसको माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर / न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा निरस्त किया जा चुका है, आपत्तीकर्ता दोषी द्वारा निरस्त किया जा चुका है माननीय रा०मं० अजमेर के द्वारा हस्तक्षेप की माननीय रा०मं० अजमेर के निर्णय दि० 15.5.19 के विपरीत चाहे है उक्त निर्णय दि० 15.5.19 के विपरीत नाही है उक्त निर्णयानुसार प्रकरण मे पूर्व मे प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 23.5.18 के विरुद्ध आपत्ती कास्तकार ने जो नहीं की गई है, आपत्ती मा० रा०मं० अजमेर के

अधिकारी (दौसा)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मंगली बनाम सम्पत उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

निर्णय के विपरीत होने से अस्वीकार है

हमने प्रकरण में वकील पक्षकार की बहस तहरीर बहस पर मनन किया, प्रकरण में प्रस्तुत वाद राजस्व रिकार्ड, माननीय न्यायालय रा० म० अजमेर के निर्णय दि० 15.5.19 तहसीलदार वसवा से पुन: प्राप्त कुरेजात व कुरेजात पर प्राप्त आपत्ती, जवाब आपत्ती कुरेजात का अवलोकन किया।

तहसीलदार बसवा द्वारा कुरेजात दिनांक 8.8.2019 माननीय रा० म० अजमेर न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.5.19 के निर्देशानुसार राजस्व रिकार्ड के अनुरूप व भामपक्षकारान की उपस्थिति में मौका जाँच कर प्रस्तुत किये गये है

आपत्ती कर्ता द्वारा आपत्ती में तहसीलदार बसवा द्वारा कुरेजात प्रस्ताव तैयारी में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) के नियम के नियम 18 से 21 की पालना नहीं करना अंकित किया है लेकिन आपत्ती में स्पष्ट नहीं किया कि किस तरह नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई, आपत्ती के जवाब में स्पष्ट अंकित किया है कि आपत्ती कर्ता को बाहमी बटवारा जो पूर्व से किया हुआ है तथा उक्त भूमि के सरहद भूमि ख०न० 471 जो आपत्तीकर्ता की खातेदारी भूमि है जिसके उत्तर में सरकारी आबादी [illegible] स्थित है से भूमि वापिस में आते जाते है तहसीलदार बसवा द्वारा विभाजन प्रस्ताव में नक्शा ट्रेस में आपत्ती कर्ता की भूमि पीले रंग में दर्शाई साथ नक्शा में दर्शायी गयी है अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है दोनो पक्षो को राजस्व रिकार्ड के अनुरूप अलग-अलग हिस्से में भूमि का विभाजन किया गया. इसी प्रकार तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत कुरेजात तैयारी में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम के नियम 18 से 21 की पालना किया जाना पाया जाता है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर

उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

मंगली/बाई (अप्रार्थी) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

के निर्णय दिनांक 15.5.2019 के निर्देशानुसार तहसीलदार बसवा द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना प्रकट है अतः आपत्ति-कर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति फरीकान प्राप्त दिनांक 23.10.2019 विचारणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार बसवा द्वारा प्रेषित फरीकान दिनांक 08-08-2019 स्वीकार किये जाते है।

अतः आदेश है कि ग्राम गुल्लाना तह० बसवा जिला के आ० ख०न० 2298/468 रकबा 0.6440 चाही, 2300/468/1 रकबा 0.0060 चाही, 469 रकबा 0.1000 बारानी कित्ता 3 रकबा 0.75 रामकिशन, गिर्राज, जगदीश, कमल चन्द पि० हरसहाय लड्डो, सोमा, मुन्नी हरसहाय हि० 1/5 जाति मीना साकिन देह खातेदार के खाते में रहेगी।

आ० ख०न० 463/0.1200, 464/0.6500, 2295/466 / 0.6320, 2296/466 / 0.0070, 2297/466 / 0.0010, 2299/468 / 0.1980, 2300/468/2 / 0.0020, 2301/465 / 0.0970, 2302/465 / 0.0030, 2303/467 / 0.0890, 2304/467 / 0.0010 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 1.80 हे० ग्राम गुल्लाना जाति मीना तह० बसवा, मांगीलाल पुत्र मगली हिस्सा पूर्ण जाति मीना स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर साकिन देह खातेदार साहिल (मुख्यखाता) एण्ड जयपुर, विभाजन प्रस्ताव, तहसील बसवा के खाते में रहेगी। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय/डिक्री का पार्ट रहेगा। पत्रावली बाद तहसीलदार बसवा को भिजवाये जावे। प्रकरण हेतु पालना तहसीलदार बसवा को भिजवाये जावे। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(पिंकी मीणा)
उपजिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)

उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2019.12.16 13:36:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: